न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/07/2022	04–02–2022	02–05–2022

1– जयनारायण पुत्र भरता, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम बघेरी कला, तहसील किशनगढबास, जिला अलवर।

–अपीलाण्ट

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार किशनगढबास, तहसील किशनगढबास जिला अलवर।

2– सरपंच, ग्राम पंचायत बघेरी कला, पंचायत समिति किशनगढबास, जिला अलवर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार किशनगढबास दिनांक 24.12.2020 प्रकरण संख्या 11/2020 अन्तर्गत राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

उपस्थितः–

01. श्री जनार्दन शर्मा –वकील अपीलाण्ट
02 राजकीय अभिभाषक –रेस्पो0 संख्या 1
03 श्री सतीश कसाना –वकील रेस्पो0 संख्या 2

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार किशनगढबास के निर्णय दिनांक 24.12.2020 प्रकरण संख्या 11/2020 के द्वारा वाके ग्राम बघेरी कला तहसील किशनगढबास की आराजी खसरा न0 1111 रकबा 0.43 किस्म गै0मु0 रास्ता की भूमि में से अतिक्रमित रकबा 0.01 है0 भूमि पर बाजरा की फसल काश्त कर अतिक्रमण किये जाने पर बेदखली की कार्यवाही/पैनल्टी कायम किये जानें से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को ज़रिये नोटिस तलब किया गया। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन

(दृ0) [signature] 02/05/2022
अतिरिक्त जिला कलैक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

किया है कि आराजी खसरा न0 1111 रकबा 0.01 है0 वाके ग्राम बघेरीकला से बेदखली की कार्यवाही कर आर्थिक दण्ड से दण्डित कर निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट के विरूद्व कतई गलत तथ्यो के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। वास्तविकता यह है कि आराजी खसरा न0 1111 किस्म गै0मु0 रास्ते से लगती हुई अपीलान्ट की सह खातेदारी की आराजी खसरा न0 1055, 1057, 1058 स्थित है। अपीलान्ट का कोई कब्जा आराजी खसरा न0 1111 पर नही है बल्कि गलत मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका नही देखा गया है। पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। जो कि काबिल निरस्त योग्य है। अपीलान्ट की सह खातेदारी की आराजी खसरा न0 1055, 1057, 1058 के संबंध में एक राजस्व वाद हुक्म इम्तनाई का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास के यहां उनवान लक्ष्मीनारायण बनाम हरिसिंह विचाराधीन है। जिसमें स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। जिसमें पक्षकार स्वयं तहसीलदार किशनगढबास है। उक्त सभी तथ्यों की जानकारी अधीनस्थ न्यायालय को दस्तावेजात प्रस्तुत करके करा दी गयी थी किन्तु समस्त दस्तावेजो की अनदेखी करते हुये राजनैतिक दबाव कें कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तैयार की गयी मौका रिपोर्ट दिनाक 02.07.2020 स्पष्ट नही है तथा मौका रिपोर्ट में भी अपीलान्ट का रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण नही दर्शाया गया है। साथ ही अंकित किया गया है कि लक्ष्मीनारायण, अपीलान्ट जयनारायण, विजय, अतरसिंह पुत्रान भरता एक ही परिवार के सदस्य है तथा रकबा 0.01 है0 पर अतिक्रमण बताया गया है जो तार्किक रूप से संभव नही है। इस तथ्य की ओर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही कर इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त कार्यवाही राजनैतिक दबाव में आकर की गयी है। जो विधि विरूद्व है एवं काबिल निरस्त है।

रेस्पोडेन्ट संख्या (02) सरपंच ग्राम पंचायत बघेरीकला द्वारा दिनांक 04.02.2021 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश (1 नियम 10) एवं धारा 151 सी0पी0सी0 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विवादित आराजी खसरा न0 1111 रकबा 0.43 है0 ग्राम बघेरीकला तहसील किशनगढबास किस्म गै0मु0 रास्ता की आराजी है जो सदैव से रास्ते की भूमि रही है। राजस्व रिकॉर्ड में भी गै0मु0 रास्ता दर्ज है। मौके पर भी रास्ता सरासर जारी है। दिनाक 02.07.2020 को मौके पर जा कर मौका रिपोर्ट बनाई गयी जिसमें भी उक्त आराजी रास्ते की भूमि पायी गयी। अपीलान्ट द्वारा आराजी खसरा न0 1055, 1057, 1058 की आड में अतिक्रमण किया हुआ है। जिसके विरूद्व नायब तहसीलदार किशनगढबास के द्वारा धारा 91 एल.आर. एक्ट के तहत कार्यवाही कर सही निर्णय पारित किया गया है। अतिक्रमी जयनारायण ने न्यायालय हाजा में अपील दायर कर बेजा स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। रास्ता खुलवाने हेतु व अतिक्रमण हटवाने हेतु पुलिस जाप्ता भी लिया गया है। उसके बाद भी अपीलान्ट अतिक्रमण नहीं हटा रहा है। अप्रार्थी ग्राम पंचायत बघेरीकला पंचायत समिति किशनगढबास का सरपंच है जिसे उक्त अपील में पक्षकार नही बनाया गया है। पक्षकार बनाये जाने हेतु निवेदन किया गया है। अप्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 एवं धारा 151 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र की नकल वकील अपीलान्ट को उपलब्ध करायी जाकर प्रार्थना पत्र पर वकील अपीलान्ट की बहस सुनी जाकर दिनाक 21.09.2021 को अप्रार्थी का

02/05/2022

अतिरिक्त जिला कलैक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 एवं धारा 151 सीपीसी स्वीकर किया जाकर संरपच ग्राम पंचायत बघेरीकला पंचायत समिति किशनगढबास को रेस्पोडेंन्ट की जद में पक्षकार बनाया जाकर मूल अपील में लाल स्याही से अंकन किया गया।

वकील अपीलान्ट की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का चिन्तन–मनन किया गया। अपील में अपीलान्ट द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया है कि आराजी खसरा न0 1111 किस्म गै0मु0 रास्ते से लगती हुयी अपीलान्ट की सह खातेदारी की आराजी खसरा न0 1055, 1057, 1058 स्थित है। अपीलान्ट का कोई कब्जा खसरा न0 1111 पर नहीं है। किन्तु समस्त दस्तावेजों की अनदेखी करते हुये राजनैतिक दबाव के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तैयार की गयी मौका रिपोर्ट दिनाक 02.07.2020 स्पष्ट नही है तथा मौका रिपोर्ट में भी अपीलान्ट का रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण नही दर्शाया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों/तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत प्रश्नगत आराजियात खसरा न0 1055, 1057, 1058 के लिए ही अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर रास्ते की पेमाईश हेतु पक्षकारों को स्वतंत्र रखा गया है। तहत अदालत की पत्रावली में संलग्न फर्द नीलामी के अनुसार आराजी खसरा न0 1111 रकबा 0.43 है0 में से 0.01 है0 भूमि पर बाजरा की फसल काश्त किये जाने पर फसल को कब्जेराज लिया जाकर नीलामी की कार्यवाही की गयी है जो अतिक्रमण किया जाना साबित होता है। अपीलान्ट रास्ते की पैमाईश के संबंध में नियमानुसार तहसीलदार कार्यालय में आवेदन कर विवादित भूमि की पैमाईश करवाकर अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। अतः पत्रावली पर आए तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट साबित नहीं होने से खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अपीलाधीन तहसीलदार किशनगढबास का आदेश दिनांक 24.12.2020 यथावत रखा जाता है। प्रकरण में दिनाक 07.01.2021 को जारी स्थगन आदेश निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ वापिस भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर की कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 02.05.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वंदना खोरवाल) 02/05/2022

(वंदना खोरवाल)
अति0 जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

न्या0 अति0 जि0 कले0 एवं अति0 जि0 मजि0 राजस्थान सरकार प्रशासन (द्वितीय) अलवर